न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–विदिशा

प्रहलाद सिंह पुत्र रूप सिंह दांगी, निवासी–सनावल बड़ागांव, तहसील बासौदा, जिला–विदिशा (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

प्रेम सिंह पुत्र श्री कल्लू सिंह दांगी, निवासी–सनावल बड़ागांव, तहसील बासौदा, जिला–विदिशा (म.प्र.) ..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार बासौदा, जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/अ–6–अ/11–12 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम सनावल बड़ागांव तहसील बासौदा में स्थित आराजी क्रमांक 229 रकवा 0.021 हेक्टेयर पर उत्तर दिशा में श्रीमती पानबाई (माताजी) से लगकर हैं जिस पर आवेदक विगत कई वर्षों से काबिज हैं तथा वर्ष 2011–12 में उसके द्वारा साग, सब्जी, नीबू, मक्का आदि की फसल प्राप्त की है।

2– यहकि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ग्राम पटवारी द्वारा गिरधावरी के समय कब्जा धारी आवेदक की फसल की सूची बनाकर प्रत्येक वर्ष तहसीलदार गंज बासौदा, जिला–विदिशा के समक्ष प्रेषित की जाती है, किन्तु पटवारी द्वारा इस वर्ष एवं पूर्व वर्ष में उपरोक्त सूची तहसीलदार गंज बासौदा को नहीं सौंपी गई। ऐसी स्थिति में आवेदक का कब्जा खसरे में दर्ज होकर प्रमाणित नहीं हुआ है। ग्राम पटवारी को प्रत्येक वर्ष कब्जाधारी की सूची में पेंसिल से दर्ज कर सौंपना आवश्यक होता है।

3– यहकि, आवेदक विवादित भूमियों पर सब्जियां उगाकर लाभ लेता चला आ रहा है। विवादित भूमि पर उसके नीबू के फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। उसके द्वारा एक नलकूप खुदवाया गया है, जिससे वह पीने का पानी अपने परिवार

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 4089-PBR/12 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
1.3.2016.	यह निगरानी तहसीलदार बासौदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 58/अ-6-अ/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 8-10-2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी तथा अनावेदक के अभिभाषक श्री लाखन सिंह धाकड़ के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार बासौदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 58/अ-6-अ/11-12 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ने तहसीलदार बासोदा को ग्राम सनावल बड़ागॉव स्थित भूमि सर्वे कमांक 229 रकबा 0.021 हैक्टर पर नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया, जिसे तहसीलदार बासोदा ने आवेदक का आवेदन पोषणीय न होने से निरस्त कर दिया है। प्रकरण में देखना यह है कि किसी कृषक का किसी भूमि विशेष पर नाम दर्ज किया जा सकता है ?	

रामसिंह विरूद्ध जमना देवी 1980 राजस्व निर्णय 392 में प्रतिपादित किया गया है कि खसरा में आधिपत्य संबंधी प्रविष्टि संहिता की धारा 121 के नियम 7 तथा 8 के अधीन की जाती है। तहसीलदार धारा 115 व 116 के अधीन प्रविष्टि की त्रृटि सही करता है और यह न्यायिक कार्यवाही होने से अपील व पुनरीक्षण भी किया जा सकता है। इसी प्रकार छबिलाल विरूद्ध रैनकी वाई 1985 राजस्व निर्णय 308 का दृष्टांत है कि खसरा में आधिपत्य की प्रविष्टि की जा सकती है। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार वासोदा ने आवेदक का आवेदन प्रथम दृष्टयां निरस्त करने में त्रृटि की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बासौदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 58/अ-6-अ/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 8-10-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य